न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर (अलवर) राज0

पीठासीन अधिकारी :— रामसिंह राजावत (R.A.S.)

प्रार्थना पत्र सख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
34 / 2019	28.06..2020	05.02.2021

उनवान

1. भागमल पुत्र चन्दगी जाति जाट निवासी रामसिंह तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।

प्रार्थी

बनाम

1. श्रामसिंह पुत्र सुखलाल जाति जाट निवासी रामसिंहपुरा तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।
2. हुक्मसिंह पुत्र सुखलाल जाति जाट निवासी रामसिंहपुरा तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।
3. इमरती पत्नी सुखलाल जाति जाट निवासी रामसिंहपुरा तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।
4. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड हौल्डर श्रीमान तहसीलदार मुण्डावर जिला अलवर राज0।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत पत्थर गढी अर्न्तगत धारा 111 व 128 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

: निर्णय :—

दिनांक :— 05.02..2021

उपस्थिति :—
1— श्री सत्यवीर चौधरी, वकील प्रार्थी
2— श्री जगन्नाथ यादव, वकील अप्रार्थी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.02.16 11:26:43 IST
Reason: SelfAttested

1. यह है कि आराजी खसरा नम्बर 487/118 रकबा 0.23 है0 [illegible] ग्राम रामसिंहपुरा तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0 [illegible] में विवादित आराजी कहलायेगी।
2. यह है कि मिन प्रार्थी की उक्त आराजी हाल खसरा नम्बर 487/118 रकबा 0.23 है0 के साथ लगती हुयी तरफ पश्चिम को आराजी खसरा नम्बर 486/118 रकबा 0.11

४५६–

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

है0, अप्रार्थीगण की स्थित है तथा मिन प्रार्थी व अप्रार्थीगण सं0 1 लगा0 3 की आराजी के मध्य कदीमी डोल कायम रही है।

3. यह है कि मिन प्रार्थी वृद्व जाईद उम्र का व्यक्ति है, जो शान्तिपूर्वक अपने कब्जेकाश्त एवं खातेदारी की आराजी पर काबिज होकर काश्त करता आ रहा है, लेकिन अप्रार्थीगण मूठ मर्द व वेईमान प्रवृति के व्यक्ति है, जो मिन प्रार्थी की आराजी के साथ लगाती हुयी आराजी होने का बेजा फायदा उठाकर, आये दिन मिन प्रार्थी की कब्जेकाश्त की आराजी खसरा 487/118 रकबा 0.23 है0 की पश्चिम डोल को अप्रार्थी सं0 1 व 2 अनावश्यक रूप से मिसमार करते रहते है तथा डोल को मिसमार कर, मिन प्रार्थी की आराजी के कुछ भाग पर धीरे धीरे अतिक्रमण कर लिया।

वादीगण के द्वारा यह अनुतोष चाहा गया है कि प्रार्थना पत्र मिन प्रार्थी स्वीकार किया जाकर आराजी हाल खसरा नम्बर 487/118 रकबा 0.23 है0 वाके ग्राम रामसिंहपुरा की पैमाईश कराई जाकर, पैमाईश के अनुसार आराजी हाल खसरा नम्बर 487/118 रकबा 0.23 है0 व अप्रार्थी सं0 1 लगा0 3 की आराजी, खसरा नम्बर 486/118 रकबा 0.11 है0 के मध्य पत्थरगढी करायी जाने क आदेश दिया जावे एवं पैमाईश के अनुसार आराजी का कब्जा मिन प्रार्थी को दिलाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर बाद विधिवत तलबी प्रतिवादी जवाब पेश किया। वादी ने अपने प्रार्थना पत्र की ताईद में जमाबन्दी सम्वत 2072–75 पेश किये है जो शामिल मिसल है।

प्रार्थी व अप्रार्थीगण की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराते हुये विवादित आराजी की पैमाईश कर पत्थरगढी करवाये जाने का निवेदन किया गया।

वकील वादी की ध्यानपूर्वक बहस सुनी गई एवं पत्रावली का गहनता से अध्ययन किये जाने पर वादीगण के द्वारा खरीदशुद्ध होने जाने की स्थिति प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र यह न्यायालय स्वीकार योग्य पाता है।

–:: आदेश ::–

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर तहसीलदार मुण्डावर को आदेशित किया जाता है कि एक माह में विवादित आराजी की समस्त काश्तकारो की उपस्थिति में पैमाईश कर नियमानुसार [illegible] की जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 05.02.2021 [illegible] लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी कर [illegible] गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.02.16 11:26:43 IST
Reason: SelfAttested

5/2/21

(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज.